

Order sheet [Contd]

case No- CRR-20/2017

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
22-03-18	<p>निगरानीकर्ता/अनावेदक सहित श्री सुनील कांकर अधिवक्ता उप0। प्रतिनिगरानीकर्ता/आवेदिका सहित श्री अरुण श्रीवास्तव अधिवक्ता उप0। उभयपक्ष की ओर से प्रकरण में राजीनामा करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। राजीनामे के संबंध में निगरानीकर्ता/अनावेदक रामजीलाल का कथन लिया गया। राजीनामे के आवेदन पर विचार किया गया, उभयपक्ष को सुना गया। रामजीलाल एवं उसकी पत्नी शांति ने व्यक्त किया है कि दोनों के मध्य राजीनामा हो गया है और दोनों स्वेच्छा से प्रथक प्रथक रहेंगे। रामजीलाल के द्वारा एकमुश्त राशि शांति को दे दी गई है। रामजीलाल को श्री सुनील कांकर अधिवक्ता ने पहचाना है एवं शांति को श्री ऊदल सिंह अधिवक्ता ने पहचाना है। अतः राजीनामा विधिवत् प्रकट होता है। राजीनामा लोकनीति के विरुद्ध न होने के कारण स्वीकार किया गया। उक्त राजीनामा के आधार पर विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 04/2015 मू0फौ0 उन्नवान श्रीमती शांति बनाम रामजीलाल में 2,500/-प्रतिमाह के भरण पोषण की राशि दिलाए जाने के आदेश दिनांक 28.02.2017 को अपास्त किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद के न्यायालय की ओर मूल अभिलेख सहित प्रेषित की जावे। प्रकरण का नतीजा दर्ज कर अभिलेखागार में भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;">(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)